

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना।

उप निदेशक, चकबंदी, सीवान।

उप निदेशक, चकबंदी, कै0यो0, गया।

उप निदेशक, चकबंदी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक 24/08/2023/

विषय:- शीर्ष 2506 भूमि सुधार, उप मुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-102 चकबंदी उपशीर्ष 0001 जोतों की चकबंदी, मांग संख्या-40, विपत्र कोड-40-2506001020001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार ईकाईवार निम्नलिखित रूप से राशि आवंटित किया जाता है :-

क्रमांक	कोड संख्या	इकाई	आवंटित राशि
1	01 07	अन्य भत्ता	90000
2	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000
3	11 01	यात्रा व्यय	140000
4	28 02	संविदा सेवाएँ	3945000
कुल योग:-			4375000

4375000/- (तैतालीस लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र।

- राशि का आवंटन प्रथम अनुपूरक आगणन से राशि प्राप्त होने के उपरांत किया गया है।
- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में की जायेगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 430/वि0 दिनांक 28.03.2023 एवं पत्रांक 3151/वि0 दिनांक 31.03.2023 के आलोक में किया जा रहा है। उनके निहित अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मांग संख्या-40 एवं विपत्र कोड 40-2506001020001 अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार सिंह)

अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय, पटना।

ज्ञापांक 843/चक0, पटना, दिनांक 24/08/2023/

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)

अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय, पटना।

ज्ञापांक 843/चक0, पटना, दिनांक 24/08/2023/

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/बजट शाखा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)

अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय, पटना।

मुख्य शीर्ष 2506-भास् सुधार उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 102 चकबंदी उपशीर्ष 0001 जोतों की चकबंदी माँग सं0-40, विपत्र कोड 40-2506001020001 कोड के अन्तर्गत निदेशालय सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आवंटन की विवरणी।

Other expenses

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अन्य भत्ता	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	संवित्ता सेवाएँ	योग (क्रमांक 3 से 6 तक का योग)
		01 07	06 01	11 01	28 02	
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुदेशक चकबन्दी निदेशालय	20000	0	40000	1500000	1560000
2	अनुदेशक चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान	20000	200000	100000	500000	820000
3	उप निदेशक सिवान	15000	0	0	1777000	1792000
4	उप निदेशक केन्द्रीय योजना गया	20000	0	0	0	20000
5	उप निदेशक पश्चिम चम्पारण बेतिया	15000	0	0	168000	183000
	योग	90000	200000	140000	3945000	4375000

कुल 43,75,000/- (तीतालीस लाख पचाहतर हजार) रुपये मात्र।

(अनिल कुमार सिंह)

अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय, पटना।